संख्या:188/2022/1688/35-4-2022/001-35-4099/14/2023

प्रेषक,

डॉ0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बदायूं।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 11 मार्च, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद-बदायूँ में शासनादेश संख्या-299/2021/2140/35-4-2021,दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 22 कार्यों की अनुमोदित लागत रू0 298.80 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 288.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी, बदायूँ द्वारा पत्रांकः 1181/त्व0आ0वि0यो0बदायूं/विधान सभा बदायूं/ग्रा0अ0वि0/2022-23 दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 एवं पत्रांकः 1108/त्व0आ0वि0यो0 बदायूं/ विधान सभा बदायूं/ग्रा0अ0वि0/2022-23 दिनांक 25 नवम्बर, 2022 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत 22 कार्यों में से 06 कार्यों की अनुमोदित लागत रू0 127.56 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि रू0 90.00 लाख का पूर्ण उपभोग किया जाना इंगित करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू. **37.56** लाख (रूपये सैतीस लाख छप्पन हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

	कार्य का नाम	**अनुमोदित लागत**	**पूर्व में अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
1.	ग्राम भगवतीपुर मझरा मढ़ैया में जहावीर बाबा मंदिर से तोती प्रजापति के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य।	24.65	15.00	9.65
2.	ग्राम रैपुरा में अवधेश कश्यप की घर वाली गली तक सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	21.87	15.00	6.87
3.	ग्राम नरखेड़ा नरेन्द्र की चौपाल से पीतम मौर्य के घर तक सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	20.75	15.00	5.75
4.	ग्राम बरातेगदार में बन्टू की दुकान से प्राइमरी स्कूल तक सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	16.61	15.00	1.61
5.	ग्राम भगवतीपुर मझरा भजपुरा में मलखान के घर से प्रा0 विद्यालय तक तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य।	23.59	15.00	8.59
6.	ग्राम डुमैरा में कहेरी के घर से ओमप्रकाश के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य।	20.09	15.00	5.09
	योग:	**127.56**	**90.00**	**37.56**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक डाकघर में नहीं रखी / जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी ।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्तअ/नाहरित बचती है तो उसे मार्च 31, मार्च 31 जोखा-से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा 2023, -तक नियोजन अनुभाग 20234 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ०प्र० में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

7- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत आय - व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 37,56,000 (रूपये सैतीस लाख छप्पन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:188/2022/1688(1)/35-4-2022/001-35-4099/14/2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्तएवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त,बरेली।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, बदायूं ।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बदायूं ।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बदायूं ।
13- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बदायूं।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in